(वेबसाईट पर अपलोड हेतु)

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स :- 2226906, फोन :- 0151-2226902, 0151-2226905
ई-मेल-: nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

क्रमांक / विद्युत / 2020-21 / 18650 दिनांक :- 04/12/2020

ई-निविदा सूचना संख्या 15 / 2020-21 / विद्युत

नगर निगम बीकानेर द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु ईच्छुक सम्भरणकर्ता जो कार्य करने / सामग्री सम्भरण करने के लिए अनुभवी हो, से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया से ऑनलाईन निविदाएं आंमत्रित की जाती है।

कार्यों की अनुमानित लागत, टेण्डर बेचे जाने तथा प्राप्त करने की तारीख, टेण्डर शर्तें इत्यादि का सम्पूर्ण विवरण राज्य सरकार की ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.rajasthan.gov.in तथा नगर निगम बीकानेर की वेबसाईट www.bikanermc.org पर देखी व डाउनलोड की जा सकती है तथा **निर्धारित अवधि तक नगर निगम बीकानेर की वेबसाईट www.bikanermc.org पर निविदा शुल्क जमा करवानें के पश्चात् निविदा को ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड की जा सकती है।**

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित राशि (लाखों में)	धरोहर राशि	निविदा शुल्क	प्रोसेसिंग शुल्क	अवधि
1.	बीकानेर नगर निगम क्षेत्र में एलईडी स्ट्रीट लाईट आपूर्ति एवं स्थापन मय संधारण का कार्य।	274.89	1%	1000/-	1000/-	12 माह

ऑनलाईन निविदा अपलोड करने की प्रारंभिक दिनांक व समय : 05.12.2020 को 09:30 बजे से

ऑनलाईन निविदा अपलोड करने की अंतिम दिनांक व समय 24.12.2020 को 18:00 बजे तक

ऑनलाईन निविदा खोलने की दिनांक व समय : 28.12.2020 को 17:00 बजे

आयुक्त
नगर निगम, बीकानेर

क्रमांक / विद्युत / 2020-21 /
दिनांक :- ....

प्रतिलिपि :-

1. नोटिस बोर्ड, नगर निगम बीकानेर।
2. ओसवाल डाटा प्रोसेसर, बीकानेर को ऑनलाईन वेबसाईट एवं पोर्टल पर प्रकाशन हेतु।

-sd-
आयुक्त
नगर निगम, बीकानेर

—: ई—टेण्डर हेतु निविदादाता के लिये निर्देश :—

- निविदा पूर्णतया ऑनलाईन प्रक्रिया द्वारा भरी जावेगी। इच्छुक निविदादाता को अपने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर्ड होना आवश्यक है।
- निविदादाता द्वारा निविदा के निर्धारित प्रोसेसिंग फीस, टेण्डर फीस एवं धरोहर राशि का ऑनलाईन भुगतान नगर निगम बीकानेर की वेबसाईट www.bikanermc.org पर PAY ONLINE ऑप्शन पर होगा। निविदा का ऑनलाईन भुगतान करने के पश्चात् जारी हुई रसीद की प्रति को ऑनलाईट वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- **निविदादाता द्वारा निविदा के निर्धारित प्रोसेसिंग फीस, टेण्डर फीस एवं धरोहर राशि का भुगतान RTGS के माध्यम से एचडीएफसी बैंक, रानी बाजार शाखा, बीकानेर के खाता संख्या 50100238612073, IFSC कोड HDFC0000645 में भी जमा करवायी जा सकती हैं। RTGS के माध्यम से किये गए भुगतान की रसीद को www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।**
- **प्रोसेसिंग शुल्क एवं निविदा शुल्क Non Refundable होगा।**
- **निर्धारित शुल्क एवं धरोहर राशि से कम भुगतान करने वाली निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा निविदा हेतु अयोग्य माना जावेगा।**
- निविदा शुल्क निम्नानुसार निर्धारित है :—

नाम	आयुक्त, नगर निगम बीकानेर
कार्य की अनुमानित लागत राशि (लाखों में)	निर्धारित शुल्क
10 लाख तक	500/—
10 लाख से अधिक	1000/—

- प्रोसेसिंग फीस निम्नानुसार निर्धारित है :—

नाम	**Managing Director, RISL, Jaipur**
कार्य की अनुमानित लागत राशि (लाखों में)	निर्धारित शुल्क
50 लाख तक	500/—
50 लाख से अधिक	1000/—

- इन निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को अपनी फर्म के नाम से डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को ऑनलाईन वेबसाईट पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। ऑनलाईन निविदा में भाग लेने के लिये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत् प्राप्त करना होगा, जो ई—निविदा में डिजिटल रूप से साईन करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सी.सी.ए. द्वारा स्वीकृत ऐजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन निविदादाताओं के पास में पूर्व में वैध डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, उन्हें नया डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता है।
- निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र ईलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में उपरोक्त वेबसाईट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिनके प्रस्ताव डिजिटल साईन के साथ नहीं होंगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- ई—निविदा प्रपत्रों को जमा करवाने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवें कि निविदा प्रपत्रों से सम्बन्धित समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ अटेच कर दी गई है।
- टेण्डर के प्रपत्रों में आवश्यक समस्त कॉलम को समुचित रूप से भरकर ही ऑनलाईन दर्ज करें।
- यदि निविदादाता टेण्डर को ऑनलाईन जमा करवानें में किसी भी कारण से विलम्ब हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।
- किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है।
- राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, सामान्य वित्त एवं लेखा नियम तथा लोक निर्माण वित्त एवं लेखा नियम के नियम लागू होंगे।
- किसी प्रकार की टंकणीय त्रुटि होने की स्थिति में विभागीय ISOR में वर्णित दरें/विवरण मान्य होंगी।
- RPWA-100 की समस्त शर्तें निविदादाता को मान्य होगी।

आयुक्त
नगर निगम, बीकानेर

–: तकनीकी निविदा शर्तें :–

1. तकनीकी बिड हेतु निम्न दस्तावेज स्केन कर पीडीएफ फोरमेट में अपलोड होने चाहिए :–
   a. प्रोसेसिंग शुल्क, निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि के ऑनलाईन भुगतान की bikanermc.org पर जारी रसीद की प्रति अथवा निविदादाता द्वारा निविदा के निर्धारित प्रोसेसिंग फीस, टेण्डर फीस एवं धरोहर राशि का भुगतान RTGS के माध्यम से एचडीएफसी बैंक, रानी बाजार शाखा, बीकानेर के खाता संख्या 50100238612073, IFSC कोड HDFC0000645 में भी जमा करवायी जा सकती हैं। RTGS के माध्यम से किये गए भुगतान की रसीद को www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
   b. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की प्रति।
   c. पेन कार्ड की सत्यापित प्रति।
   d. विद्युत निरीक्षक रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
   e. ब्लड रिलेशन नहीं होने बाबत् 50/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र।
   f. किसी भी राजकीय कार्यालय में फर्म के डी–बार/ब्लैकलिस्ट ना होने का 50/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र।
   g. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने का 50/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शापथ–पत्र प्रस्तुत करें।
   h. निविदादाता द्वारा गत 03 वित्तीय वर्षों में किसी भी सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्वायत्तशाषी संस्था/विभाग में 2500 nos. या अधिक LED स्ट्रीट लाईट्स की आपूर्ति व स्थापन का अनुभव होना आवश्यक है। इस हेतु विभाग द्वारा जारी कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी।
   i. निविदादाता/फर्म का वार्षिक टर्न–ओवर गत 03 वित्तीय वर्षों में से किसी भी एक वित्तीय वर्ष में कार्य की अनुमानित लागत का एक तिहाई या इसके अधिक राशि का होने का चार्टेड एकान्टेन्ट द्वारा प्रमाणित दस्तावेज की प्रति।
   j. कर्मचारी भविष्य निधि हेतु EPF रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
   k. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
   l. राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 रजिस्ट्रेशन अथवा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत अथवा इंडियन कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत जारी पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति।
   m. विद्युत कार्य हेतु किसी भी सरकारी या अर्द्धसरकारी कार्यालय में E-EWSD-1 मे पंजीकरण की सत्यापित प्रति।

नोट :–

- तकनीकी निविदा शर्तों के अन्तर्गत चाहे गए आवश्यक दस्तावेजों में से यदि किसी दस्तावेज की कमी पाई जाती है, तो तकनीकी निविदा खोलने के पश्चात् कोई भी दस्तावेज स्वीकार्य नहीं होगा।
- निविदादाता तकनीकी एवं अनुभव से सम्बन्धित शर्तों का भली–भाँति अध्ययन कर सम्बन्धित पूर्ण एवं स्पष्ट दस्तावेज सावधानी पूर्वक अपलोड करें।

सहायक/अधिशाषी अभियंता नगर निगम, बीकानेर	मुख्य अभियंता निदेशालय, जयपुर	मुख्य लेखाधिकारी नगर निगम, बीकानेर	उपायुक्त/आयुक्त नगर निगम, बीकानेर

—: सामान्य वित्तीय निविदा शर्तें :—

1. सभी निविदादाताओं पर सामान्य वित्तीय लेखा नियम, नगरपालिका नियम व लोक उपापन नियम 2013 व लोक उपापन एव पारदर्शिता एक्ट 2012 और PWF&AR के नियम/प्रावधान लागू होगें ।
2. कार्य की कुल लागत में वारंटी और स्थापित एलईडी लाईटों के व्यापक रख–रखाव का कार्य समावेशित है।
3. निविदाएं उन फर्मो/डीलर्स द्वारा दी जानी चाहिए जो या तो उन लेखों/उपकरण/मशीनरी के लिए पंजीकृत/अनुमोदित आपूर्तिकर्ता है, जो वास्तव में उन सामानों में हैं जिनके लिए निविदा दी जा रही है।
4. निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ दिये गये दस्तावेज सही नहीं पाये जाने पर निविदा कभी भी निरस्त की जाकर नियमानुसार कार्यवाही का अधिकार आयुक्त महोदय का होगा।
5. **निविदादाता अपने ठेके या उसके किसी मूल भाग को किसी अन्य एजेन्सी/फर्म को सबलेट/स्थानान्तरित नही कर सकेगा।**
6. यदि सफलतम निविदादाता/ठेकेदार कार्य आदेश में निर्धारित समय अवधि से पूर्व बिना किसी पर्याप्त कारण के वित्तीय अनुसूची/वितीय स्वीकृत दर पर कार्य करने में असफल रहता है तो ठेकेदार की प्रतिभूति राशि जब्त करने के अलावा शेष अवधि के लिए ठेकेदार के हर्जे खर्चे (Risk & Cost) पर नगर निगम कार्य करवाने के लिए स्वतंत्र होगा।
7. निविदादाता को बिना सूचना दिये निविदा निरस्त करने का अधिकार आयुक्त/महापौर का होगा।
8. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर श्रीमान् आयुक्त/महापौर द्वारा दिया गया निर्णय मान्य होगा।
9. निविदा खोलने के बाद प्रस्ताव वापस लेता है या उपन्तरण करता है या करार निर्धारित अवधि में नहीं करता है, प्रतिभूति राशि जमा नहीं करवाता है तो लोक उपापन नियम 2013 व लोक उपापन एव पारदर्शिता एक्ट 2012 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
10. नगर निगम किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने के अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। यह आवश्यक नही है कि वह न्यूनतम निविदा को ही स्वीकार करें वह किसी भी निविदा को बिना कारण बताये रद्द कर सकता है।
11. यदि निविदादाता किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत कार्य को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने कार्य आदेश दिया है किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के गठित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि कार्य प्रारम्भ होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।
12. धरोहर राशि के निविदा के अंतिम में रूप से स्वीकार किये जाने के पश्चात् नियमानुसार समस्त असफल निविदाकार को प्रत्यप्रित कर दी जावेगी। यदि किसी फर्म की कोई राशि नगर निगम बीकानेर कार्यालय में पूर्व में जमा है तो उसे धरोहर/प्रतिभूति राशि पेटे नहीं माना जावेगा। प्रतिभूति राशि वास्तविक/कार्यादेश राशि के 05 प्रतिशत होगी।
13. परफोरमेंस गारंटी आदि हेतु राज्य वित्त विभाग के वर्तमान नियम प्रभावी होंगे।
14. दोष दायित्व अवधि (Defect Liability Period) संवेदक द्वारा एलईडी लाईटों के स्थापन कार्य समाप्त करने की अवधि से लेकर 03 वर्ष तक मान्य होगा।
15. काटी गई PERFORMANCE SECURITY राशि को पुनः संवेदक को नियमानुसार दोष दायित्व अवधि (Defect liability period) की अवधि समाप्त के पश्चात कार्य संतोषजनक पूर्ण होने पर पुनः लौटा दिया जायेगा।
16. दरें सभी प्रकार के कर सहित मानी जावेगी। किसी भी प्रकार का अतिरिक्त कर देय नही होगा।
17. संवेदक द्वारा प्रस्तुत दरों में एलईडी स्ट्रीट लाईट के 03 वर्ष की वारंटी एवं संधारण दरें भी सम्मिलित होंगी। निगम द्वारा स्थापन कार्य के पश्चात् संधारण हेतु अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।
18. संवेदक द्वारा प्रस्तुत बिल में से परफॉरमेंस गारंटी के अतिरिक्त संधारण कार्य के पेटे बिल राशि में से 15% की अतिरिक्त कटौती की जावेगी। उक्त राशि संवेदक के संधारण अवधि संतोषप्रद रूप से पूर्ण किये जाने पश्चात् लौटाई जावेगी ।
19. संधारण कार्य हेतु काटी गई 15% राशि का भुगतान प्रत्येक वर्ष का संधारण कार्य सफलतापूर्वक व कार्यालय की संतुष्टि के पश्चात् अधिकतम 05% तक किया जा सकेगा।
20. तीन वर्ष के संधारण कार्य संतोषजनक पूर्ण करने के पश्चात् 05% S.D. व शेष संधारण कार्य के पेटे काटी गई राशि का भुगतान निगम द्वारा किया जावेगा।
21. समय–समय पर उक्त अवधि के दौरान नगर निगम अथवा राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देश/आदेश को मानने अथवा उसकी पालना करने के लिए ठेकेदार बाध्य होगा।
22. ठेकेदार को लेबर लॉ की पालना करनी होगी। ठेकेदार द्वारा कार्य हेतु प्रशिक्षित कर्मचारी लगाने होंगे, यदि ठेकेदार के कर्मचारियों की कार्य के दौरान कोई दुर्घटना/जान माल की हानि होती है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
23. संवेदक/फर्म के सम्बन्धित श्रेणी में पंजीकृत होने सम्बन्धी राज्य वित्त विभाग के नियम लागू होंगें।

24. आयुक्त नगर निगम युक्ति–युक्त कारण सहित इस चालू ठेके को सात दिवस के नोटिस पर निरस्त कर सकेंगे। इस निरस्तिकरण के कारण कोई भी क्षतिपूर्ति नहीं दी जायेगी।
25. न्यायिक विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र बीकानेर होगा।
26. केन्द्र सरकार द्वारा लगाये गये एवं परित सेवाकर का भुगतान स्वयं ठेकेदार को करना होगा।
27. निबन्धनों तथा शर्तो को भंग करने या संविदा को असन्तुष्ट ढंग से पूर्ण करने पर नगर निगम द्वारा बैंक गारन्टी/प्रतिभूर्ति/अमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। इस संबंध में महापौर/आयुक्त नगर निगम, बीकानेर का निर्णय अन्तिम होगा।
28. बिल का भुगतान नियमानुसार औपचारिकताऐं व प्रमाणिकरण के पश्चात् किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा ग्रांट/बजट में विलम्ब होने की स्थिति में भुगतान विलम्ब होने पर ठेकेदार द्वारा प्रशासन पर दबाव नही बनाया जाएगा।
29. सफलतम निविदादाता को नियमानुसार नॉन ज्यूडिश्यल स्टाम्प पर अनुबंध करना होगा।
30. ठेकेदार द्वारा कार्य संतोषजनक न होने पर महापौर/आयुक्त, द्वारा 03 नोटिस देने पर ठेका/निविदा स्वतः ही निरस्त मानी जायेगा। उसकी प्रतिभूति राशि (सिक्युरीटी) एवं जमा राशि निगम द्वारा जब्त कर ली जावेगी।
31. निविदादाता द्वारा अलग–अलग सभी आइटमों की दर आने पर अनुमानित संख्या के आधार पर मासिक राशि निकालकर न्यूनतम राशि के अनुसार निविदादाताओ के क्रम की गणना की जावेगी।
32. निगम द्वारा कार्यादेश कार्य की आवश्यकता अनुसार दिया जायेगा।
33. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी। प्रस्तुत दरें निविदा तिथि से 90 दिवस की अवधि तक मान्य होगी।
34. किसी कारणवश कार्य निर्धारित समय में पूर्ण नही हो पाता है तो उसका लिखित में कारण बताते हुए आयुक्त नगर निगम, बीकानेर से अग्रिम दिनों की अनुमति लेनी होगी।
35. सफलतम निविदादाता की दरें स्वीकृत की जाती है, तो आदेश अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर कार्य संपादित करना होगा।
36. निविदादाता द्वारा न्यून्तम दर आने पर यदि निगम कार्य आदेश देती है तो उसे अनुबंधित दर पर कार्य करना होगा अन्यथा उसकी प्रतिभूति राशि (सिक्यूरिटी) निगम द्वारा जब्त कर ली जावेगी।
37. विवाद की स्थिति में विभागीय कार्यवाही हेतु प्रथम अपील अधिकारी उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग एवं द्वितीय अपील अधिकारी निदेशक एवं उपशासन सचिव स्वायत शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर होगा।
38. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा करने का दायित्व संवेदक का होगा।
39. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नही करने की स्थिति में उसके परिमाणों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उतरदायी होगा।
40. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
41. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापनन संस्था की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
42. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
43. निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाले निविदादाता निविदा सम्बंधित शर्तों को भली–भाँति पढ़ लेवें एवं शर्तों से सहमत होने के पश्चात ही निविदा प्रक्रिया में भाग लेवे ।

सहायक/अधिशाषी अभियंता
नगर निगम, बीकानेर

मुख्य लेखाधिकारी
नगर निगम, बीकानेर

उपायुक्त/आयुक्त
नगर निगम, बीकानेर

—: विशेष शर्तें :—

कार्य का नाम :- बीकानेर नगर निगम क्षेत्र में एलईडी स्ट्रीट लाईट स्थापन एवं आपूर्ति मय संधारण का कार्य।

उक्त निविदा में निम्नलिखित कार्य निविदादाता के कार्य क्षेत्र में शामिल होंगे :—

1. **एलईडी स्ट्रीट लाईट को स्थापित करने का कार्य (मय एलईडी लाईट, ड्राईवर, एसपीडी एवं फीकस्चर)**
   - निविदादाता को कार्यादेश प्राप्त होने के पश्चात एक माह के भीतर निगम क्षेत्र में आने वाले समस्त वार्डो का निविदा प्रपत्र में संलग्न प्रारूप के अनुसार सर्वे कार्य सम्पादित करना होगा तथा इसकी रिपोर्ट संलग्न प्रारूप में भरकर हार्डकॉपी एवं सॉफ्टकॉपी में आवश्यक रूप से नगर निगम बीकानेर के विद्युत अनुभाग कार्यलय में प्रस्तुत करनी होगी तथा सम्बन्धित कनिष्ठ अभियंता द्वारा सत्यापन तत्पश्चात् ही संवेदक को एलईडी स्ट्रीट लाईट स्थापन कार्य की अनुमति प्रदान की जावेगी।
   - संवेदक को सर्वे कार्य सम्पादित करने के पश्चात ही एलईडी स्ट्रीट लाईट्स का स्थापन कार्य एवं परीक्षण करना होगा।
   - एलईडी स्ट्रीट लाईटों की तकनीकी विशिष्टियां "G" व "H" Schedule में दिए गए विनिर्देशन के अनुसार होनी आवश्यक है।
   - एलईडी स्ट्रीट लाईटों की आपूर्ति और उतारे गई लाईट्स का भण्डारण संवेदक के दायरे में होगा।
   - संवेदक को उतारी गई परम्परागत लाईटों का निर्धारित प्रपत्र में प्रकार, वॉटेज, स्थान जहाँ से उतारी गई का सम्पूर्ण रिकॉर्ड कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा तथा नियमानुसार निगम भण्डार में जमा करवाकर उसकी पावती रसीद प्रस्तुत करनी होगी।
   - एलईडी स्ट्रीट लाईट स्थापित करने के कार्य से पहले यह सुनिश्चित करना संवेदक की जिम्मेदारी है कि स्थापित की गई सभी लाईटें निविदा प्रपत्र में उल्लेखित निगम क्षेत्र के अन्तर्गत ही लगाई जावेगी।
   - निविदा में उल्लेखित मात्रा नियमानुसार कम व ज्यादा की जा सकती है।
   - खुले केबल/वायर के जोईन्टस पर टेपिंग इत्यादि लगाकर सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था ठेकेदार द्वारा की जावेगी। ठेकेदार की लापरवाही से खुले तारों द्वारा करंट की दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
   - निविदादाता द्वारा सभी एलईडी लाइटों को नियमानुसार स्विच/फेज वायर पर उंर्जा संरक्षण नीतियों के अनुपालना में स्थापित करना होगा।
   - संवेदक को एलईडी स्ट्रीट लाईट स्थापित होने के कार्य के पश्चात सभी स्थापित लाईटों का इल्यूमिनशन लेवल (लक्स लेवल) आंकलन करना तथा रिपोर्ट निगम कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
   - विद्युत कार्य के दौरान JDVVNL अथवा सम्बधिंत विद्युत कार्यालय से शटडाउन लेने की स्थिति में सम्बन्धित विभाग एवं नगर निगम विद्युत अधिकारी से सामंजस्य स्थापित करके ही कार्य सम्पादित किया जावेगा।
   - उक्त कार्य करने के लिए विद्युत लाईन में बाधा बनने वाली पेड की टहनियों को कटवाने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
   - यदि परिवहन के दौरान किसी भी प्रकार की कोई टूट—फूट होती है तो उसकी जिम्मेदारी स्वंय ठेकेदार की होगी।
   - सफलतम निविदादाता को सभी प्रकार के उपकरण, संसाधन इत्यादि स्वंय को लगाने होंगे। जिसका निगम द्वारा अलग से भुगतान देय नही होगा।
   - **संवेदक को प्रथम बिल का भुगतान सभी प्रस्तावित एलईडी स्ट्रीट लाईटों में से 30 प्रतिशत लाईटें स्थापित होने के पश्चात ही किया जाएगा।**
   - संवेदक को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व लगाये जाने वाले सभी **एलईडी स्ट्रीट लाईट** की NABL अधिकृत लैब से प्रमाणित परीक्षण (LM79/LM80) रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
   - विभाग द्वारा आवश्यकता होने पर आपूर्ति/स्थापित की गई एलईडी स्ट्रीट लाईट्स का परीक्षण NABL अधिकृत लैब से करवाया जा सकेगा।
   - संवेदक द्वारा निविदा के अनुसार स्थापित की गई नई एलईडी लाईट को निगम के पदाधिकारियों से प्राप्त निर्देशानुसार विशेष रंग अथवा Logo से चिन्हित करना होगा, जिसके लिये निगम द्वारा किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।

2. एलईडी स्ट्रीट लाईटों के रख–रखाव व संधारण कार्य (मय एलईडी स्ट्रीट लाईट, ड्राईवर, एसपीडी एवं फीकस्चर): संधारण अवधि में निविदादाता द्वारा किया जाने वाला कार्य निम्नानुसार है :–

- एलईडी लाईट स्थापित होने के पश्चात दोष दायित्व अवधि 03 वर्ष में लाईट खराब अथवा बन्द होने पर उसके संधारण की लागत नगर निगम, बीकानेर द्वारा देय नहीं होगी।
- एलईडी लाईट संधारण कार्य की लागत में संधारण की मजदूरी एवं उपयोग होने वाले अतिरिक्त उपकरण की लागत शामिल है। संधारण कार्य में उपयोग होने वाले आवश्यक उपकरणों को संवेदक को अपने स्तर पर लगाना होगा, इस कार्य के लिए निगम द्वारा कोई अतिरिक्त राशि देय नही होगी।
- 03 वर्ष की दोष दायित्व अवधि (Defect liability period) में जब भी लाईटो के संधारण कार्य की आवश्यकता होगी तो निविदादाता को लाईट, फेजवायर, फ्यूज बॉक्स, एसपीडी, अर्थरिंग, नटबोल्ट, ब्रेकेट, आर्मस एवं ढीले जम्पर दुरस्त करने का कार्य करना होगा।
- **तकनीकी अभियंताओं / उपायुक्त / आयुक्त द्वारा किये गये निरीक्षण के दौरान यदि स्थापित एलईडी लाईटे बंद पाई जाती है तो संवेदक पर 25 रूपये प्रति लाईट की शास्ति आरोपित की जाएगी।**
- **संवेदक को एलईडी लाईट बंद होने की शिकायत दर्ज करवाने हेतु एक क्षेत्रीय हेल्पलाईन नंबर स्थापित करना आवश्यक होगा। बंद लाईट की शिकायत दर्ज होने के पश्चात यदि शिकायत 48 घण्टे की अवधि से अधिक लम्बित रहती है तो संवेदक पर 25 रूपये प्रति लाईट प्रति दिन की शास्ति आरोपित की जायेगी।**
- निविदादाता को हेल्पलाईन नम्बर पर दर्ज शिकायतों का रिकॉर्ड रखना होगा तथा प्रति माह दर्ज शिकायतों की रिपोर्ट निगम कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
- संवेदक के द्वारा किये गए कार्य की क्वालिटी टेस्ट रिपोर्ट निगम को भुगतान से पूर्व आवश्यक रूप से प्रस्तुत करनी होगी।
- संवेदक को स्थापित सभी लाईटों को रनिंग कंडीशन में चालु रखना होगा।
- संवेदक को स्थापित की गयी सभी लाईटों को 03 वर्ष की दोष दायित्व अवधि के समाप्त होने के पश्चात नगर निगम बीकानेर को चालू स्थिति में ही सुपुर्द करना अनिवार्य होगा। शर्त की अनुपालना नही होने की स्थिति में निगम नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी एवं संवेदक के द्वारा प्राप्त कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि एवं ADDITIONAL PERFOMENCE SECURITY राशि जब्त की जावेगी।
- संवेदक के द्वारा बंद अथवा खराब एलईडी स्ट्रीट लाईट्स की शिकायत दर्ज करने हेतु एक क्षेत्रीय हेल्पलाईन नंबर स्थापित करना आवश्यक होगा।
- संवेदक को संधारण कार्य में बन्द / खराब एलईडी स्ट्रीट लाईट्स की सूचना प्रत्येक दिवस कार्यालय से भी प्राप्त करनी होगी। बंद / खराब लाईट्स की शिकायतें दूरभाष व मोबाईल पर प्राप्त मैसेज द्वारा भी दी जा सकती है, जिसका संधारण निर्धारित समयावधि में करना होगा, साथ ही प्रत्येक दिवस संधारित की गई लाईट्स की सूचना भी निगम के विद्युत अनुभाग में प्रतिदिन प्रस्तुत करनी होगी।
- प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य किसी दुर्घटना के दौरान यदि स्थापित लाईट क्षतिग्रस्त लाईट को नई लाईट से प्रतिस्थापित करना होगा जिसका भुगतान निगम द्वारा देय होगा।
- लाईट चोरी होने पर चोरी हुई लाईट की एफआईआर संवेदक को अपने स्तर पर सम्बन्धित थाना क्षेत्र में दर्ज करवाकर एवं चोरी हुई लाईटों के स्थान पर नई लाईट लगानी होगी। इस हेतु निगम द्वारा किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।

उपरोक्त सभी शर्तें मेरे द्वारा भली भांति पूर्ण रूप से पढ़ ली / समझ ली गई हैं मुझे सभी शर्तें मान्य है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

सहायक / अधिशाषी अभियंता नगर निगम, बीकानेर	मुख्य लेखाधिकारी नगर निगम, बीकानेर	उपायुक्त / आयुक्त नगर निगम, बीकानेर

ANNEXURE "A"

Survey work of all the wards under Municipal Corporation, Bikaner.

Ward Number : .... Date: ....

Name of ward councillor.. Belonging Department to ward: ....

Sr No	Location address	Detail of poles					Remark
		Pole Number	Wattage	Switch wire		Existing light	
				YES	NO		

Signature of contractor

MUNICIPAL CORPORATION BIKANER

कार्य का नाम :– बीकानेर नगर निगम क्षेत्र में एलईडी स्ट्रीट लाईट स्थापन एवं आपूर्ति मय संधारण का कार्य।

'G'-Schedule (RUIDP ISOR 2017 Grp-1)

S.No.	ISOR code	Item Description PART "A"	Unit	Rate	Qty	Amount
1	58.31	P/ F IP-65/ IP-66 protected street light luminaries on existing bracket. Fixture made from powder coated single piece pressure die cast aluminum housing with heat dissipation fins on housing with high power LEDs . Diffuser / glass cover for ensuring IP-65 protection for lamp and control gear compartment, system lumen output of 100 lum/watt high power LED. Integrated driver shall be high efficiency having efficiency more than 85 % and in compliance to IEC standards. System life of 50000 burning hours with 70 % of initial lumens maintained. Fixture shall be in CE compliance.				
	58.31.1	IP-65 protected LED street light luminaries				
	58.31.1.2	LED street light fixture 30-40 Watt	each	2806.00	4000	11224000
	58.31.1.3	LED street light fixture 45 Watt	each	4364.00	2500	10910000
	58.31.1.5	LED street light fixture 72 Watt	each	6650.00	500	3325000
2	44.1	Supplying and drawing FR PVC insulated & unsheathed flexible copper conductor ISI marked (IS:694) of 1.1 Kv grade and approved make in existing surface or recessed conduit/casing capping including making connections etc. as required.				
	44.1.2	2 x 1.5 sq.mm	mtr	26.00	15000	390000
		Total of Part-A				25849000

Part B - 'H' schedule

S.No.		Item Description	Unit	Rate	Qty	Amount
3		Dismatanlling, removing of old fixtures such as T/Ls, HPSV lamps,CFL etc from poles and storing them at nigam's authorised store. Rate shall be inclusive of labour cost, transportation and inventory etc charges.	Nos.	[illegible]	2000	[illegible]
4		Supply and fixing of street light bracket made out of class B GI pipe 25mm dia in required size and shape fixed with having 2 nos. of MS clamps and fastners and nut-bolts of size 6 inches witth length 1 mtr. (Rate shall include transportation and inventory charges).	Nos.	[illegible]	7000	[illegible]
		Total of Part-B				[illegible]
		Total of PART "A"+"B"				27489000
		SAY :				02.75 Crores

Junior Engineer (Electrical)
Municipal Corporation Bikaner

Assistant Engineer (Electrical)
Municipal Corporation Bikaner

Chief Engineer (E)
2/12/2020

I/we agree to do the work as per specification and BMC terms & conditions

1. PART A@ % Above /Below on BSR

2. PART B@ Rs.

Signature of contractor with seal